



संयोजक गृह निर्माण मण्डल

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय शंकर नगर रायपुर

www.cgmb.gov.in

!! संपदा प्रबंधन !!

परिपत्र

क्रमांक.....781...../2015

दिनांक 22/12/2015

विषय:- छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल में पंजीकृत अभिकर्ताओं को संपत्ति विक्रय पर दिए जाने वाले कमीशन की बढ़ोतरी के संबंध में।

—000—

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के 44वें मण्डल सम्मिलन दिनांक 12.08.2014 की पद संख्या-30 के पारित संकल्प क्रमांक-1263-30/44/08/2014 तथा मण्डल के परिपत्र क्रमांक-09 दिनांक 01.09.2014 के परिपालन में मण्डल की रिक्त संपत्ति को मानदेय/कमीशन आधार पर विक्रय करने हेतु आदेश क्रमांक-554/2014 दिनांक 15.09.2014 द्वारा निर्देश प्रसारित किये गये है। उक्त आदेश में अभिकर्ता द्वारा मण्डल की संपत्ति विक्रय हेतु निर्धारित आवेदन पत्र के विक्रय हेतु आवेदन पत्र के मूल्य कि 40 प्रतिशत तथा विक्रित संपत्ति के मूल्य की 0.5 प्रतिशत राशि जिसमें न्यूनतम रु. 2000/- तथा अधिकतम रु.15000/- मानदेय/कमीशन के रूप में भुगतान का निर्णय लिया गया है।

मण्डल के पंजीकृत अभिकर्ताओं द्वारा समय-समय पर आयोजित समीक्षा बैठक में उन्हें प्राप्त हो रही मानदेय/कमीशन राशि की बढ़ोतरी हेतु अनुरोध किया गया है। वर्तमान में उन्हें मण्डल के उक्त निर्णय अनुसार ही मानदेय/कमीशन दिया जाता है।


अभिकर्ताओं की उत्कृष्ट कार्य को देखते हुए तथा प्रोत्साहित करने हेतु मुख्यालय के आदेश क्रमांक-609/2015 दिनांक 03.10.2015 द्वारा मण्डल से दिये जाने वाले मानदेय/कमीशन राशि में बढ़ोतरी निम्नानुसार की गयी है:-

अभिकर्ता द्वारा मण्डल की संपत्ति विक्रय हेतु निर्धारित आवेदन पत्र के विक्रय पर आवेदन पत्र के मूल्य कि 60 प्रतिशत तथा विक्रित संपत्ति के मूल्य की 0.5 प्रतिशत राशि जिसमें न्यूनतम रु.4000/- तथा अधिकतम रु.25000/- मानदेय/कमीशन के रूप में भुगतान की जाना है। मानदेय/कमीशन का भुगतान संपत्ति क्रय हेतु पंजीयन के पश्चात् 50 प्रतिशत तथा शेष 50 प्रतिशत राशि संपत्ति का पूर्ण मूल्य मण्डल के खाते में प्राप्त होने पर किया जावेगा।

मानदेय/कमीशन के अतिरिक्त अभिकर्ताओं को प्रति तिमाही में कुल विक्रय किये गये संपत्ति के मूल्य पर मण्डल की ओर से निम्नानुसार प्रोत्साहन राशि दिये जाने का भी निर्णय लिया गया है।

1. 25 लाख 50 लाख तक के संपत्ति विक्रय पर राशि रु. 2000/-
2. 50 लाख से 75 लाख तक के संपत्ति विक्रय पर राशि रु. 4000/-
3. 75 लाख से 1 करोड़ तक के संपत्ति विक्रय पर राशि रु. 7000/-
4. 1 करोड़ से अधिक की संपत्ति विक्रय पर राशि रु. 10000/-

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के 49वें मण्डल सम्मिलन दिनांक 11.12.2015 की पद संख्या-22, संकल्प क्रमांक-1363/22/49/12/2015 द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए उपरोक्तानुसार की गयी कार्यवाही की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी है।



 आयुक्त
 छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल 22/12
 रायपुर

पृ.क्र.२४६१/आ.आ./स.प्र.शा./मुख्या/फा.नं.- /15

रायपुर, दिनांक २२/१२/२०१५

प्रतिलिपि:-

1. स्टॉफ ऑफिसर मान. अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
2. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय नया रायपुर तथा सदस्य, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर।
3. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर तथा सदस्य, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर।
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त/आवास एवं पर्यावरण विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय नया रायपुर तथा सदस्य, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर।
5. निज सचिव, आयुक्त महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर तथा सदस्य, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर।
6. आयुक्त सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, रायपुर तथा सदस्य, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर।
7. क्षेत्रीय प्रमुख, हडको, रायपुर तथा सदस्य, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर।
8. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रायपुर तथा सदस्य, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर।
9. अपर आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
10. मुख्य लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
11. मुख्य संपदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
12. उपायुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, रायपुर।
13. उपायुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, वृत्त-रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर।
14. प्रशासकीय अधिकारी छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
15. संपदा अधिकारी/लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
16. संपदा अधिकारी, संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-01/02/03, रायपुर /दुर्ग/जगदलपुर/बिलासपुर/ रायगढ़/ कोण्डागांव/अंबिकापुर/कोरबा की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
17. कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल संभाग-1,2,3,4 रायपुर/राज.परि. संभाग-1,2, रायपुर/संभाग-दुर्ग/परियोजना.संभाग-दुर्ग/राजनांदगांव/कोरबा/रायगढ़/बिलासपुर/ जगदलपुर/अंबिकापुर/कोण्डागांव/विद्युत संभाग-01,02,03 रायपुर।
18. आई.टी.शाखा, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
19. आदेश नस्ती/गाई फाईल।


आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
रायपुर
22/12